राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर

राजस्थान उच्च न्यायालय परिसर, जयपुर पीठ

विधिक सेवा सदन, विधिक सेवा मार्ग, सी–स्कीम, जयपुर

(Phone: 0141-2227481, FAX:2227602, Toll Free Help Line 9928900900)

Email: rj-slsa@nic.in, **Website:** https://rajasthan.nalsa.gov.in

क्रमांक :–एफ–7(76)रालसा / संस्था–निजी पत्रा / 2025 / 506 दिनांकः 12.08.2025

कार्यालय आदेश

विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 की धारा 22–बी के अधीन जिला न्यायक्षेत्र मुख्यालय, उदयपुर पर स्थापित स्थायी लोक अदालत के पूर्णकालिक अध्यक्ष पद पर नियुक्त श्री रवि प्रकाश शर्मा (सेवानिवृत जिला न्यायाधीश) का 05 वर्ष का कार्यकाल दिनांक 16.08.2025 को पूर्ण हो रहा है। निर्देशानुसार नवीन पूर्णकालिक अध्यक्ष की नियुक्ति होने तक जिला एवं सेशन न्यायाधीश, उदयपुर को स्थायी लोक अदालत, उदयपुर के अध्यक्ष के पद का अतिरिक्त कार्य (As a Part time Chairperson) करने हेतु अधिकृत किया जाता हैं।

जिला एवं सेशन न्यायाधीश, उदयपुर को स्थायी लोक अदालत के अध्यक्ष का कार्य करने पर नियमानुसार मानदेय देय होगा।

श्री रवि प्रकाश शर्मा, अध्यक्ष, स्थायी लोक अदालत, उदयपुर को निर्देशित किया जाता है कि वे उक्त पद का कार्यभार नियमानुसार जिला एवं सेशन न्यायाधीश, उदयपुर को सौंपकर भारमुक्त होंवे एवं जिला एवं सेशन न्यायाधीश, उदयपुर को निर्देशित किया जाता है कि अध्यक्ष, स्थायी लोक अदालत, उदयपुर का पद कार्यभार ग्रहण कर इस प्राधिकरण को सूचित किया जाना सुनिश्चित करें।

सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम के नियम 03 के अधीन प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग करते हुए स्थायी लोक अदालत, उदयपुर के पूर्णकालिक अध्यक्ष का पद रिक्त होने के कारण स्थायी लोक अदालत, उदयपुर के पूर्णकालिक अध्यक्ष की नियुक्ति होने तक जिला एवं सेशन न्यायाधीश, उदयपुर को स्थायी लोक अदालत, उदयपुर के कार्यालय के वित्तीय कार्यों के प्रयोजनार्थ कार्यालयाध्यक्ष घोषित किया जाता है। ये प्रावधानानुसार अपने कर्त्तव्य व दायित्वों सामान्यतया सरकार के सामान्य व वित्तीय नियमों एवं समय–समय पर जारी आदेशों में निर्धारित किए गए एवं महत्वपूर्ण कर्तव्यों का सारांश जी0एफ एंड ए0आर0 के परिशिष्ठ 01 में दिया गया है, के साथ–साथ अन्य सभी कर्तव्यों का पालन करेंगे।

राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली के पत्र दिनांक 23.05.2025 के संलग्न विधि और न्याय मंत्रालय न्याय विभाग की अधिसूचना दिनांक 15.05.2025 में स्थाई लोक अदालत (अध्यक्ष और अन्य व्यक्तियों की नियुक्ति के अन्य निबंधन और शर्ते) संशोधन नियम 2025 जिसका भारत के राजपत्र दिनांक 15.05.2025 में प्रकाशन हुआ है के नियम "3 अनुसार स्थाई लोक अदालत की बैठक, जब कभी आवश्यक हो, अध्यक्ष द्वारा बुलाई जायेगी और एक सौ तक लंबित मामलों वाली स्थाई लोक अदालत सप्ताह में कम से कम एक बार बैठक करेगी और प्रति बैठक कम से कम पांच मामले सूचीबद्ध करेगी तथा एक सौ से अधिक लंबित मामलो वाली स्थाई लोक अदालत सप्ताह में कम से कम दो बार बैठक करेगी और प्रति बैठक कम से कम पांच मामले सूचीबद्ध करेगी।

आज्ञा से,

Vikram Atri

सदस्य सचिव,

राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण,

जयपुर

E:\Establishment Section\Permanent Lok Adalat\PLA Order.docx

राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर

राजस्थान उच्च न्यायालय परिसर, जयपुर पीठ

विधिक सेवा सदन, विधिक सेवा मार्ग, सी–स्कीम, जयपुर

(Phone: 0141-2227481, FAX:2227602, Toll Free Help Line 9928900900)

Email: rj-slsa@nic.in, **Website:** https://rajasthan.nalsa.gov.in

क्रमांक :–एफ–7(76)रालसा/संस्था निजी पत्रा0 /2025/ 7846-58 दिनांकः 12.08.25

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित है :–

1. निजी सचिव, माननीय कार्यकारी अध्यक्ष, राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण।
2. रजिस्ट्रार जनरल, राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर।
3. सदस्य सचिव, राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली।
4. प्रमुख शासन सचिव, विधि एवं विधिक कार्य विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
5. निजी सचिव, सदस्य सचिव, रालसा, जयपुर।
6. जिला एवं सेशन न्यायाधीश, उदयपुर ।
7. अध्यक्ष/सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, उदयपुर ।
8. अध्यक्ष, स्थायी लोक अदालत, उदयपुर ।
9. सदस्य, स्थायी लोक अदालत, उदयपुर ।
10. निदेशक/विशेष सचिव/संयुक्त सचिव/उप सचिव–प्रथम/द्वितीय, रालसा,जयपुर।
11. संबंधित कोषाधिकारी, कोष कार्यालय।
12. नोडल ऑफिसर, विभागीय वेबसाईट, रालसा, जयपुर।
13. आदेश/संबंधित/रक्षित पत्रावली।

निदेशक
राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण,
जयपुर

E:\Establishment Section\Permanent Lok Adalat\PLA Order.docx